<u>प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 08.06.2024</u>

कूटरचना व धोखाधड़ी कर जमीन पर कब्जा करने के आरोप में 01 नफर अभियुक्ता गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी के अपराधों पर अंकुश लगाने व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व में उ0नि0 अभय पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 84/2024 धारा 420,467,468,471,352,504,506,427,120 बी भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्ता गायत्री देवी पत्नी स्व० राम किशुन निवासी जंगल सालिकराम टोला भगत पुरवा थाना शाहपुर गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही का जा रही है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण</u>- वादिनी मुकदमा द्वारा अभियुक्ता गायत्री उपरोक्त की जमीन का बैनामा कराया गया था। अभियुक्ता गायत्री उपरोक्त द्वारा अपने पट्टीदारों के साथ मिलकर बैनामा किये हुए जमीन को पुनः हड़प लिया गया। विरोध करने पर अभियुक्ता गायत्री उपरोक्त द्वारा अपने पट्टीदारों के साथ मिलकर गाली-गुफ्ता देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिया गया। जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

<u>गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम व पता-</u>

गायत्री देवी पत्नी स्व0 राम किशुन निवासी जंगल सालिकराम टोला भगत पुरवा थाना शाहपुर गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-</u>

मु0अ0स0 84/24 धारा 420, 467, 468, 471, 352, 504, 506, 427,120 बी भादवि थाना शाहपुर गोरखपुर

<u>गिरफ्तारी की टीम-</u>

1. प्रभारी निरीक्षक जयन्त कुमार सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 अभय पाण्डेय थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. म0उ0नि0 हर्षिता सिंह थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. म0उ0नि0 प्रीति यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर